## <u>न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)</u>

<u>आप. प्रक. क.—589 / 2015</u> <u>संस्थित दिनांक—04.07.2015</u> <u>फाईलिंग नं.—234503006702015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — **अभियोज** 

## <mark>/ / विरूद्ध</mark> / /

राजेश मरावी पिता अमोलिसंह, उम्र—28 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम नयाटोला, कोयलीखापा, थाना गढ़ी, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

# // <u>निर्णय</u> //

## (आज दिनांक-08/03/2017 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—458, 354ए के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—18.10.2014 को रात्रि 10:00 बजे थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम नयाटोला में फरियादी फूलवंतीबाई मेरावी के मकान में सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व हमला करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया, फरियादी फूलवंतीबाई, जो कि एक स्त्री है का हाथ पकड़कर शारीरिक संबंध स्थापित करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—19.10.2014 को फरियादी फुलवंतीबाई मेरावी ने थाना गढ़ी आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम कोयलीखापा में रहती है। दिनांक—18.10.14 को रात्रि 10:00 बजे वह खाना खाकर घर के दरवाजे को बंद कर अपने बेटे नरेन्द्र के साथ सोई थी, तभी उसके जेठ का लड़का राजेश दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस आया और उसका हाथ पकड़कर बुरी नियत से बोला कि मुझे करने दे, तब उसने अपना हाथ झटककर छुड़ाया और अपनी भाभी उर्मिला को आवाज लगाई, तब उसका बेटा नरेन्द्र भी उठ गया। उसकी भाभी दौड़कर आई, तब उन्हें देखकर राजेश मेरावी भाग गया। उसने सुबह अपने जेठ अमोल, ससुर छतर व राजेन्द्र को घटना के बारे में बताया और अपनी भाभी के साथ रिपोर्ट करने गई। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—76/14 अंतर्गत धारा—456, 354(क) भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया गया और अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—458, 354(ए) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी फूलवंतीबाई ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिसके संबंध में राजीनामा आवेदनपत्र प्रस्तुत किया, परंतु शमनीय प्रकृति की धाराएं न होने से राजीनामा आवेदन पत्र निरस्त किया गया तथा उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई।

## 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक—18.10.2014 को रात्रि 10:00 बजे थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम नयाटोला में फरियादी फूलवंतीबाई मेरावी के मकान में सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व हमला करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी फूलवंतीबाई, जो कि एक स्त्री है का हाथ पकड़कर शारीरिक संबंध स्थापित करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

### विचारणीय बिन्द्ओं का निष्कर्ष :-

- 5— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 6— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी फूलवंतीबाई अ.सा.1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी राजेश मेरावी को जानती है। घटना उसके बयान देने के लगभग दो वर्ष पूर्व की है। वह घर के आंगन में खड़ी थी, तभी उसका आरोपी से उसका मौखिक वाद—विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना गढ़ी में दर्ज कराई थी। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके अंगूठा निशान हैं। पुलिस ने उसके मौकानक्शा नहीं बनाया था और न कोई पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि दिनांक—18.10.14 को रात्रि 10 बजे आरोपी राजेश दरवाजे को धक्का देकर उसके घर में घुस आया था और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोल रहा था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने पुकार लगाई थी, तब उर्मिलाबाई मौके पर आ गई थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने पुलिस ने उसके बताए अनुसार मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 तथा उसका कथन प्रदर्श पी—3 लेख किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। पुलिस ने उसे उसकी रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी से राजीनामा हो जाने के कारण वह प्रकरण समाप्त करना चाहती है।
- 7— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी उर्मिलाबाई अ.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी राजेश मेरावी को जानती है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर

साक्षी ने इस बात से इंकर किया कि दिनांक—18.10.14 को रात्रि 10 बजे आरोपी ने फरियादी के घर में घुसकर उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा था और यह बात फरियादी ने उसे बताई थी। साक्षी ने अपना पुलिस कथन प्रदर्श पी—4 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया।

- 8— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी दिनेश पाल अ.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—19.10.2014 को सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पुलिस थाना गढ़ी में पदस्थ था। उसे अपराध कमांक—40/14, अंतर्गत धारा—354, 456 भा.द.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उसने मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 फरियादी के बताये अनुसार बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षी उर्मिलाबाई, छतरसिंह, नरेन्द्र, अमोलसिंह, राजेन्द्र, फूलवंतीबाई मेरावी के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने घटना का मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 थाने पर बैठकर बनाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक—19.10.14 को मौके पर जाने के संबंध में उसने रवानगी वापसी सान्हा प्रकरण में संलग्न नहीं किया है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसने गवाहों के बयान अपने मन से लेख किये थे।
- 9— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी निलेश परतेती अ.सा.4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—18.11.15 को थाना गढ़ी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा अपराध कमांक—589/15 आरोपी राजेश मेरावी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—5 के अनुसार गिरफ्तार कर उसके परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दिया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी को थाने पर गिरफ्तार किया गया था।
- प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-458 एवं 354ए का अपराध किये जाने का अभियोग है। प्रकरण में विवेचक दिनेश पाल अ.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में उसके द्वारा की गई कार्यवाही को प्रमाणित किया है और कहा है कि उसने फरियादी के बताए अनुसार घटना का मौकानक्शा प्रदर्श पी–2 बनाया था तथा गवाहों के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। प्रकरण में अभियोजन साक्षी नीलेश परतेती अ.सा.4 ने आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही को अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित किया है, परंतु यदि फरियादी साक्षी फूलवंतीबाई अ.सा.१ के कथनों पर विचार किया जावे तो उसका कहना है कि आरोपी से उसका मौखिक विवाद हुआ था, जिसके संबंध में उसने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट पुलिस थाने में लेख कराई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह पढ़ी–लिखी नहीं है और घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी—3 उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। घटनास्थल पर मौजूद अभियोजन साक्षी उर्मिलाबाई अ.सा.२ ने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन साक्षी फूलवंतीबाई अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी राजेश मेरावी उसके घर के दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस आया था और उससे शारीरिक संबंध बनाने के आशय से उसके घर में घुसा था। उपरोक्त स्थिति में आरोपी द्वारा फरियादी फूलवंतीबाई मेरावी के मकान

में सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व हमला करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया जाना एवं फरियादी फूलवंतीबाई, का हाथ पकड़कर शारीरिक संबंध स्थापित करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—458 एवं 354ए का अपराध किये जाने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से आरोपी राजेश मेरावी को संदेह का लाभ दिया जाकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—458 एवं 354ए के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

- 11— प्रकरण में आरोपी दिनांक—18.11.15 से दिनांक—28.11.15 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा हैं। उक्त के संबंध में धारा—428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।
- 12— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा—437 (क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

, **शुक्ल**, प्रणी, बेहर, -बालाघाट